

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/ 3642

दिनांक 17/10/2025

उपरोक्त प्रकरण : बनवारी लाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट. 1956  
मुकदमा संख्या - 218/2025

:- दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक  
01/भू.अ./2025 दिनांक 01/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम जुआनापुर पटवारी हल्का जुआनापुर  
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमे खाता संख्या 94,95 में खातेदार बनवारी लाल  
पुत्र वाम के स्थान पर बनवारी लाल उर्फ बालकृष्ण पुत्र वाम का  
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का जुआनापुर  
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस  
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/ 364344

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का जुआनापुर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)